न्यूज़ टुडे

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक के लिए सख्त नियम अधिसूचित किए

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) की बढ़ती समस्या को देखते हुए FSSAI ने 1 अप्रैल, 2025 से मांस, मांस संबंधी उत्पादों, दूध, दूध संबंधी उत्पादों आदि के उत्पादन में निर्धारित एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- यह कदम **मस्कट मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस घोषणा-पत्र पर नवंबर 2022 में हुए **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** में सहमति बनी थी।
  - AMR पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का समग्र उद्देश्य **राजनीतिक प्रतिबद्धता में तेजी लाना और AMR पर WHO वैश्विक कार्य योजना को साकार करने के लिए योगदान को सुनिश्चित** करना है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance: AMR) के बारे में

- यह तब होता है, जब रोगाणुरोधी दवाओं का **बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी पर कोई प्रभाव नहीं** होता है। इससे **रोग फैलने, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और मृत्यु का खतरा** बढ़ जाता है।
- यह एक **प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो समय के साथ रोगजनकों में आनुवंशिक परिवर्तन** के माध्यम से संपन्न होती है। यह प्रक्रिया रोगाणुरोधी दवाओं के **दुरुपयोग एवं अत्यधिक उपयोग के कारण और तीव्र** हो गई है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक खतरा क्यों है?

- **मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा:** विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2019 में लगभग 5 मिलियन लोगों की मौतें किसी न किसी तरह से दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के कारण हुई थी।
- **आर्थिक बोझ:** विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 तक AMR के कारण स्वास्थ्य देखभाल पर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए आगे की राह:

- खेतों में रोगाणुओं के प्रवेश और प्रसार को रोकने के लिए **जैव सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए।**
- रोगाणुरोधी का कम उपयोग करने वाली कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे जैविक उत्पादन।
- **अन्य उपाय:** वन हेल्थ एप्रोच, टीकाकरण, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स सहित उत्पादन बढ़ाने के वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए आदि।

मस्कट मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र तीन वैश्विक लक्ष्य

रोगाणुरोधी का उपयोग कम करना
2030 तक कृषि-खाद्य प्रणालियों में रोगाणुरोधी के कुल उपयोग को 30-50% तक घटाना।

महत्वपूर्ण रोगाणुरोधी को बचाकर रखना
पशुओं के **शारीरिक विकास को बढ़ाने हेतु चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रोगाणुरोधी** के इस्तेमाल को समाप्त करना।

उचित एंटीबायोटिक पहुंच सुनिश्चित करना
2030 तक मानव उपयोग में आने वाली एंटीबायोटिक दवाइयों की कुल खपत में से कम-से-कम **60% 'एक्सेस/ Access' ग्रुप एंटीबायोटिक्स** से सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) के तहत 'बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRC)' स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए

केंद्रीय बजट 2023-24 में 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRC) स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई थी।

बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRC) के बारे में:

- BRC **क्लस्टर-स्तरीय उद्यम** होते हैं। ये किसानों को किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में **परीक्षण किए गए और स्थानीय रूप से तैयार जैविक तत्वों से बने इनपुट/ फार्मूलेशन को खरीदने** के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसका उद्देश्य **मृदा स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन आदि में सुधार** करना है।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर:

- **वित्तीय सहायता:** बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना के लिए **1 लाख रुपये की सहायता** प्रदान की जाएगी। सहायता में शेड निर्माण, सेंटर भवन का किराया आदि शामिल नहीं होगा।
- **अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय:** उदाहरण के लिए- 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय तिलहन मिशन जैसी योजनाओं के प्रावधानों का लाभ उठाया जाएगा।
- **बायो-इनपुट तैयार करना:** स्थानीय किसानों की आवश्यकताओं, भूमि उपयोग पैटर्न, मृदा के प्रकार और फसल प्रणालियों को ध्यान में रखकर इनपुट तैयार किए जाएंगे।
- **BRC उद्यमी समूह/ संस्था के लिए मापदंड:** बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर का संचालन कोई ऐसा व्यक्ति करेगा, जो स्वयं प्राकृतिक खेती (NF) करता हो या समूह (सेंटर) के सदस्य प्राकृतिक खेती करने का अनुभव रखते हों।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) के बारे में:

- **योजना का प्रकार:** यह स्वतंत्र 'केंद्रीय प्रायोजित योजना' है।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- **मुख्य उद्देश्य:** प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
  - यह योजना **अगले 2 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टरों में लागू** की जाएगी। इसके तहत **1 करोड़ किसानों और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर** किया जाएगा।

बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRC) द्वारा प्रदत्त सेवाएं

- **संवर्धित (कल्चर) जैव-उर्वरकों एवं जैव-कीटनाशकों का रखरखाव एवं बिक्री,** ताकि किसान बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं उपयोग कर सकें।
- **उपयोग हेतु तैयार ऑर्गेनिक इनपुट** का विकास और बिक्री।
- वनस्पति के अर्क (botanical extracts) और पशु आधारित इनपुट की तैयारी के बारे में **किसानों को प्रशिक्षण** देना।
- प्राकृतिक कृषि पद्धतियों पर **ज्ञान साझा** करना।
- फेरोमोन ट्रैप, ल्यूर, स्टिकी ट्रैप और अन्य की **बिक्री।**

दिशा-निर्देशों का महत्त्व:

- **प्राकृतिक खेती अपनाने के दौरान चुनौतियों का समाधान:** उत्कृष्ट इनपुट्स उपलब्ध नहीं होने, ज्ञान की कमी, बाजार में इनपुट्स की मांग जैसी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।
- **ऑर्गेनिक या बायो-इनपुट्स में सुधार करना:** बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने में सहायता करेगा।

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (MFIs) 1 जून से संशोधित दिशा-निर्देश, संकल्प/ SANKALP 2.0 लागू करेंगी

तीन शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत, इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य **मूल्य निर्धारण, अति ऋणग्रस्तता और अनुशासन से जुड़ी समस्याओं का समाधान** करना है।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर

- **ऋणों का मूल्य निर्धारण:** MFIs को ब्याज दर के साथ **पारदर्शी मूल्य निर्धारण नीतियों** का पालन करना होगा, जो न्यायोचित और बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
- **अति ऋणग्रस्तता: किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ऋण दे सकती हैं, भले ही ऋण किसी भी श्रेणी में दिया** जा रहा हो।
- **आचार संहिता और अनुशासन:** यदि कोई ग्राहक किसी भी **ऋणदाता के साथ 60 दिनों से अधिक समय तक डिफॉल्टर (बकायादार)** है, तो उसे नया ऋण नहीं दिया जाएगा।

सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस या माइक्रोक्रेडिट) के बारे में

- **अर्थ:** औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित और **हाशिए पर स्थित गरीब लोगों को कम राशि वाले ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान** करना ही माइक्रोफाइनेंस कहलाता है।
  - MFIs **बचत खाते, फंड ट्रांसफर, सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म ऋण जैसी विविध सेवाएं प्रदान करते हैं तथा ऋण पर ब्याज** अर्जित करते हैं।
- **उत्पत्ति:** इस विचार की शुरुआत **बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी मुहम्मद यूनुस** द्वारा उद्यमियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने वाले **ग्रामीण बैंक (1983) की स्थापना** के साथ हुई थी।

भारत में MFIs के विनियमन के लिए प्रमुख पहलें

- **स्व-विनियामक संगठन (SRO): माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN)** और **स-धन (Sa-Dhan) को 2014 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने स्व-विनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी थी।
- **सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क (2022):** यह RBI द्वारा सूक्ष्म वित्त ऋणों की परिभाषा, पुनर्भुगतान सीमा आदि से संबंधित है।

MFIs द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याएं

जमानत की अनुपस्थिति: MFIs बिना किसी जमानत (कोलैटरल) के ऋण प्रदान करते हैं, जिससे ऋण चुकाना कठिन हो जाता है।

ब्याज दरें अधिक होना: MFIs 12–30% की ब्याज दर वसूलते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक 8–12% की दर से ऋण देते हैं।

प्रचालन लागत: MFIs को बड़ी संख्या में छोटे कर्जदारों को ऋण देना होता है, जिससे **लेन-देन की लागत बढ़** जाती है।

क्षेत्रीय हवाई यात्रा योजना "उड़ान" से 1 करोड़ 49 लाख यात्री लाभान्वित हुए

उड़ान (UDAN) योजना का उद्देश्य भारत के **टियर-2 और टियर-3 शहरों तथा कम हवाई संपर्क वाले क्षेत्रों को प्रमुख शहरों के साथ से जोड़ना** है। इससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

उड़ान योजना (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के बारे में

- **शुरुआत:** इसे **अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016** के तहत बाजार संचालित तथा वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के साथ शुरू किया गया था।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **लक्ष्य:** दूरदराज/ कम हवाई संपर्क वाले क्षेत्रों में हवाई संपर्क और अवसंरचना को बढ़ावा देना तथा हवाई यात्रा को किफायती बनाना।
- **लाभ:**
  - **यात्रियों के लिए रियायती सीटें:** यात्रा शुल्क की सीमा तय कर दी गई है। आरंभ में यह सीमा 2500 रुपये प्रति यात्री थी।
  - **एयरलाइंस को सहायता:** सरकार कम किराये के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के रूप में क्षतिपूर्ति करती है।
- **वित्त-पोषण तंत्र:** क्षेत्रीय संपर्क निधि (Regional Connectivity Fund: RCF) वायबिलिटी गैप फंडिंग को वित्त-पोषित करके योजना के स्व-वित्तपोषण तंत्र को सुगम बनाती है। RCF वस्तुतः चुनिंदा घरेलू उड़ानों पर लगाए गए शुल्क से वित्त-पोषित होती है।
- **कार्यान्वयन:** इसे **नागर विमानन मंत्रालय** द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

उड़ान योजना की प्रमुख उपलब्धियां (2016-2025):

- **625 हवाई मार्ग चालू किए जा चुके हैं,** जो 15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 90 हवाई अड्डों को जोड़ते हैं।
- हवाई अड्डों के नेटवर्क में **हवाई अड्डों की संख्या 74 (2014) से बढ़कर 159 (2024)** हो गई है।
- **क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुंच में वृद्धि:** खजुराहो, अमृतसर, अजमेर, देवघर और पूर्वोत्तर भारत जैसे गंतव्यों के लिए हवाई संपर्क में सुधार हुआ है।

उड़ान योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियां:

- **वित्तीय संधारणीयता और VGF पर निर्भरता:** सब्सिडी पर व्यापक निर्भरता; एयरलाइंस को कम यात्रियों की संख्या वाले मार्गों पर लाभ कमाने में संघर्ष करना पड़ता है आदि।
- **अवसंरचना का अभाव:** कई क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनल क्षमता, नेविगेशन संबंधी सहायता, रनवे की लंबाई, ATS सिस्टम और ग्राउंड सेवाओं की कमी है।
- **परिचालन संबंधी बाधाएं:** यात्रियों की कम संख्या, अपर्याप्त अवसंरचना और हवाई मार्गों की अव्यवहार्यता के कारण परिचालन लागत अधिक हो जाती है।
- **नीतिगत एवं विनियमन संबंधी मुद्दे:** इसमें केंद्र/ राज्य सरकारों और हितधारकों के बीच खराब समन्वय; विनियामक संबंधी बाधाएं और भूमि अधिग्रहण में देरी आदि शामिल हैं।

वर्ष 2019 से लोक सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना एक संवैधानिक विसंगति का संकेत देता है

लोक सभा के उपाध्यक्ष पद के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** यह पद **भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत 1921** में अस्तित्व में आया था।
  - सर्वप्रथम **सचिदानंद सिन्हा** केंद्रीय विधान सभा में इस पद पर आसीन हुए थे।
  - **एम. ए. अय्यंगर** स्वतंत्रता के बाद पहले **निर्वाचित उपाध्यक्ष** थे।
- **चुनाव:** संविधान के **अनुच्छेद 93** में प्रावधान किया गया है कि लोक सभा जल्द-से-जल्द सदन के दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी।
  - लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, **उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के सांसद** को दिया जाता है।
- **पद त्याग और पद से हटाया जाना: अनुच्छेद 94** में पद के रिक्त होने, पद त्याग और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ध्यातव्य है कि लोक सभा उपाध्यक्ष को **सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया** जा सकता है।
  - अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को सौंपता है।
- **कर्तव्य: अनुच्छेद 95** के अनुसार, अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

उपाध्यक्ष के पद का महत्त्व

- **संवैधानिक अनिवार्यता:** यह केवल औपचारिक पद नहीं है, क्योंकि संविधान में इसे अध्यक्ष पद के समकक्ष स्थान दिया गया है।
- **निरंतरता, स्थिरता और संस्थागत संतुलन के लिए आवश्यक:** यह पद आपातकाल की स्थिति में **द्वितीय नेतृत्व** प्रदान करता है।
  - **1956 में अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के आकस्मिक निधन के बाद एम. ए. अय्यंगर** ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
- **विधायी कर्तव्य:** उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करता है, समितियों का नेतृत्व करता है और गंभीर वाद-विवाद का संचालन निष्पक्षता एवं प्राधिकार के साथ करता है।

निष्कर्ष

- **एक निश्चित समय सीमा** (जैसे, नई लोक सभा की पहली बैठक के 60 दिन) या एक **वैधानिक व्यवस्था की शुरुआत** की जा सकती है, ताकि समय सीमा के भीतर उपाध्यक्ष का चयन किया जा सके।

रिक्ति से जुड़ी समस्याएं

सभी प्रक्रियात्मक शक्तियों का अध्यक्ष (सत्ताधारी दल से) के पास केंद्रीकरण।	संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना।	समावेशिता और सहमति की राजनीति को दरकिनार करना।

शोधकर्ताओं ने पादप-वायरस से बचाव के लिए RNA-आधारित एंटीवायरल एजेंट विकसित किया

जर्मनी के शोधकर्ताओं ने **RNA साइलेंसिंग पर आधारित** एंटीवायरल एजेंट का विकास किया है। यह एजेंट **क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस (CMV)** से सुरक्षा प्रदान करता है।

- **भारत में, CMV** के संक्रमण की वजह से **केले की खेती में 25-30% तक उपज की हानि** दर्ज की जाती है।

क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस (CMV) के खिलाफ पादप प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपयोग की गई तकनीकें:

- शोधकर्ताओं ने **RNA-आधारित फसल सुरक्षा तकनीकों** की मदद ली है। **इन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **होस्ट-इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग (HIGS):**
    - इसमें **पादपों को आनुवंशिक रूप से संशोधित** किया जाता है, ताकि वे अपनी कोशिकाओं के भीतर **वायरस से लड़ने वाले डबल-स्ट्रैंडेड RNA (dsRNA) का निर्माण** कर सकें।
    - यह पादपों को उनकी **पूरी जीवन अवधि में निरंतर सुरक्षा** प्रदान करता है।
  - **स्प्रे-इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग (SIGS):**
    - इस तकनीक में पादपों पर **RNA स्प्रे** किया जाता है।
    - पत्ते इस RNA को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे DNA को बदले बिना पादपों की प्राकृतिक प्रतिरक्षा अभिक्रिया सक्रिय हो जाती है।

RNA साइलेंसिंग (RNAi) के उपयोग से पादपों की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली कैसे कार्य करती है?

- जब कोई वायरस पादप को संक्रमित करता है, तो वह डबल-स्ट्रैंडेड RNA (dsRNA) छोड़ता है। यह **dsRNA पादप के लिए चेतावनी संकेत के रूप में कार्य** करता है।
- पादप इस चेतावनी संकेत के प्रत्युत्तर में **डाइसर-लाइक एंजाइम (DCLs)** को सक्रिय करता है। यह एंजाइम dsRNA को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिन्हें **स्मॉल इंटरफेरिंग RNA (siRNA)** कहा जाता है।
- ये siRNA फिर पादप प्रतिरक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करते हैं, ताकि वह वायरल RNA को नष्ट कर सके।
  - हालांकि, **सभी siRNA प्रभावी नहीं** होते और वायरस अक्सर तेजी से **उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) करके पादप की प्राकृतिक सुरक्षा से बचने में सफल** हो जाते हैं।

RNA साइलेंसिंग क्या है:

- RNA साइलेंसिंग वास्तव में **जीन के कार्यों को नियंत्रित** करने वाली प्रणाली है। यह **विशिष्ट RNA सीक्वेंस को नष्ट** करती है। इस तरह यह पादपों और अन्य जीवों को वायरस से बचाने में सहायक है।
- यह किसी **विशिष्ट जीन के कार्यों को कम या पूरी तरह बंद** कर सकता है।
- RNA साइलेंसिंग में **लघु RNA मॉलिक्यूल (जैसे siRNA या miRNA) शामिल** होते हैं। यह **mRNA (मैसेंजर RNA) से जुड़ जाते हैं।** mRNA वह मॉलिक्यूल है, जो DNA से प्रोटीन बनाने का निर्देश या संकेत प्राप्त करता है।
  - **जब लघु RNA mRNA से जुड़ते हैं, तो वे या तो:**
    - mRNA को नष्ट कर देते हैं जिससे प्रोटीन नहीं बन पाता,
    - या mRNA को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे कोशिका की प्रोटीन बनाने वाली प्रणाली उससे संकेत प्राप्त नहीं कर पाती।

अन्य सुर्ख़ियां

ज्ञान पोस्ट

इंडिया पोस्ट ने 'ज्ञान पोस्ट' सेवा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य देशभर में शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देना है।

ज्ञान पोस्ट के बारे में:

- यह एक प्रकार की **डाक सेवा** है। इसके तहत पूरे **देश में पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की रियायती शुल्क में डिलीवरी** सुनिश्चित करके शिक्षा प्राप्ति में समानता सुनिश्चित की जाएगी।
- केवल गैर-व्यावसायिक प्रकृति की अध्ययन सामग्री ही इस सेवा में शामिल की जाएगी। इसमें अध्ययन सामग्री की डिलीवरी की **रियल टाइम आधार पर ट्रैकिंग** की जा सकेगी।
- **व्यावसायिक उद्देश्यों वाली अध्ययन सामग्रियों या विज्ञापनयुक्त प्रकाशनों को इस योजना के दायरे से बाहर** रखा गया है।
- प्रत्येक पुस्तक पर निर्धारित शर्तों के अनुसार **मुद्रक/ प्रकाशक का नाम अंकित** होना अनिवार्य है।
- **रियायती शुल्क:**
  - **300 ग्राम** तक के पैकेज के लिए: **20 रुपये; तथा**
  - **5 किलोग्राम** तक के पैकेज के लिए: **100 रुपये।**

लॉन्ग-टर्म वीजा (LTV)

भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वीज़ा निलंबन के बावजूद पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों के लिए **लॉन्ग-टर्म वीजा (LTV) मान्य** रहेंगे।

लॉन्ग-टर्म वीजा (LTV) के बारे में

- लॉन्ग-टर्म वीजा धारकों को **भारत में 180 दिनों से अधिक रहने की अनुमति** होती है।
- **यह कुछ विशेष मामलों में जारी किया जाता है, जैसे:**
  - ऐसे **पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानी नागरिक** जिनके पास **वैध यात्रा डॉक्यूमेंट** हों तथा जो **भारत में स्थायी रूप से बसने (नागरिकता सहित)** के **इच्छुक** हों।
  - उन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, जो अपना **पाकिस्तानी पासपोर्ट नवीनीकृत नहीं** करा पाए हों।
  - **अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश** कर चुके हों, चाहे उनके पास यात्रा डाक्यूमेंट्स हों या नहीं।
  - ऐसे **विदेशी नागरिक जो स्वयं को शरणार्थी** बताते हैं।

चोलिस्तान मरुस्थल

सिंध में विरोध प्रदर्शनों के बाद, पाकिस्तान ने चोलिस्तान नहर परियोजना सहित कई परियोजनाओं पर रोक लगाई। चोलिस्तान नहर परियोजना का उद्देश्य चोलिस्तान मरुस्थल में सिंचाई की व्यवस्था करना है।

चोलिस्तान मरुस्थल (रोही) के बारे में

- **अवस्थिति:** यह पाकिस्तान में थार मरुस्थल का पश्चिमी भाग है।
- **पृष्ठभूमि:** कभी यह क्षेत्र हकरा नदी से सिंचित होता था, लेकिन लगभग 600 ईसा पूर्व में नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, जिससे यह क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील हो गया।
- **ऐतिहासिक महत्त्व:** यह क्षेत्र कभी कृषि पर आधारित सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, जहां कृषि आधारित जीवन था। यहां कई मध्यकालीन किले बने थे, जो मरुस्थलीय व्यापार मार्गों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाए गए थे।
  - देरावर किला इन ऐतिहासिक किलों में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित उदाहरण है।

पद्म पुरस्कार

भारत की राष्ट्रपति ने सिविल इन्वेस्टिट्चर समारोह-I में पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए।

पद्म पुरस्कारों के बारे में:

- ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं।
- प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों के नाम घोषित किए जाते हैं।
- **पद्म पुरस्कारों की निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं:**
  - **पद्म विभूषण**- असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए;
  - **पद्म भूषण**- उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए; तथा
  - **पद्म श्री**- विशिष्ट सेवा के लिए।
- ये पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को सम्मानित करते हैं, जहां सार्वजनिक सेवा का कोई तत्व शामिल हो।
- **पद्म पुरस्कारों का इतिहास:** 1954 में प्रारंभ किए गए थे।
  - 1978–79 और 1993–97 के दौरान पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे।
- **पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया:**
  - नामों की सिफारिशें पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।
  - आम लोग भी किसी व्यक्ति के नाम का सुझाव दे सकते हैं। हालांकि, कोई व्यक्ति अपने स्वयं के नाम की सिफारिश नहीं कर सकता।
- **यह कोई 'उपाधि' (टाइटल) नहीं है:** पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस पुरस्कार का नाम अपने नाम के आगे या पीछे नहीं जोड़ सकता।

अल्फाल्फा (या लूसर्न)

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से अल्फाल्फा के आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) संस्करणों के आयात को प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रहा है।

अल्फाल्फा के बारे में

- **फैमली:** यह फलीदार फैबेसी फैमली में बारहमासी फूल वाला पौधा है।
- **पोषण मूल्य:** यह प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन (A एवं D) और खनिजों से भरपूर है।
- **जलवायु:** समशीतोष्ण जलवायु में सूर्य के प्रकाश में सबसे अच्छी वृद्धि करता है।
- **उत्पादन:** दुनिया में कुल अल्फाल्फा उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा संयुक्त अमेरिका, रूस और अर्जेंटीना में होता है।
- **नाइट्रोजन स्थिरीकरण:** इसकी जड़ों में पाए जाने वाले सहजीवी बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं।
- **उत्पत्ति:** यह शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों की स्थानिक फसल है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति वर्तमान ईरान और तुर्की क्षेत्र में हुई।

एक्वा बीमा (Aqua Insurance)

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के तहत पहले 'एक्वा बीमा' का वितरण किया।

- PM-MKSSY, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक उप-योजना है। इसके तहत जलीय-कृषि क्षेत्र (Aquaculture) को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है।
- 5वीं समुद्री मात्स्यिकी गणना (Marine Fisheries Census) के लिए VyAS-NAV मोबाइल एप्लिकेशन भी डिजिटल डेटा संग्रहण हेतु लॉन्च किया गया है।

एक्वा बीमा के बारे में:

- **उद्देश्य:** लघु और वंचित मत्स्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **लाभार्थी:** पंजीकृत एक्वा किसान, फर्में, कंपनियां, समितियां, सहकारी संस्थाएं, मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPOs) आदि।
- **प्रीमियम सीमा:** प्रति किसान अधिकतम 1 लाख रुपये तक, 1800 घन मीटर क्षेत्र के लिए।
- **समावेशन:** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता के लिए पात्र हैं।
- **अवधि:** बीमा कवरेज एक फसल चक्र के लिए मान्य होता है।

वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान (Trends in world military Expenditure, 2024)

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान पर रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वैश्विक सैन्य व्यय 2024 में बढ़कर 2718 अरब डॉलर हो गया था। यह विगत वर्ष (2023) की तुलना में 9.4% की वृद्धि है। यह शीत युद्ध के बाद सैन्य व्यय में सबसे तेज वृद्धि है।
- कुल सैन्य व्यय 2024 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.5% रहा।
- **सैन्य व्यय वाले शीर्ष पांच देश:** संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत।
  - इन पांचों देशों का संयुक्त सैन्य व्यय विश्व का 60% सैन्य व्यय है ।
- यूरोप में सैन्य व्यय में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण यूक्रेन युद्ध है। जर्मनी में 28% और पोलैंड में 31% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- मध्य पूर्व क्षेत्र में सैन्य व्यय में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। इजरायल में 65% और लेबनान में 58% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- 2024 में भारत का सैन्य व्यय 86.1 अरब डॉलर रहा था, जो देश की GDP का 2.3% है।

एक्सिओम-4 मिशन

इसरो ने एक्सिओम-4 मिशन (एक्स-4) के लिए 7 माइक्रोग्रैविटी शोध प्रयोगों को शॉर्टलिस्ट किया।

- माइक्रोग्रैविटी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें लोग या वस्तुएं भार रहित स्थिति में प्रतीत होते हैं।

एक्सिओम-4 मिशन के बारे में

- यह एक्सिओम स्पेस द्वारा संचालित है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है।
  - एक्सिओम स्पेस निजी रूप से वित्त-पोषित, एक अमेरिकी कंपनी है। यह अंतरिक्ष अवसंरचना विकसित करने पर केंद्रित है।
- एक्सिओम मिशन 4 का चालक दल इस वर्ष फ्लोरिडा में NASA के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर ISS के लिए रवाना होगा।
- डॉकिंग के बाद, निजी अंतरिक्ष यात्री एक कक्षीय प्रयोगशाला में 14 दिन बिताएंगे। इस दौरान विज्ञान, आउटरीच और वाणिज्यिक गतिविधियों से युक्त मिशन का संचालन किया जाएगा।
- इस मिशन में शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे, और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे।

बनारसी शहनाई और बनारसी तबला

बनारसी शहनाई और बनारसी तबले को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया।

बनारसी शहनाई के बारे में

- यह एक भारतीय सुषिर वाद्य यंत्र है। यह ओबो वाद्य यंत्र के समान है। इसकी सतह पर सात छेद होते हैं।
- शहनाई का संबंध देश के मंदिर संगीत से है।
- अधिकांश भारतीय विवाहों में शहनाई वादन शुभ माना जाता है।
- इसे वैश्विक पहचान महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से मिली।

बनारसी तबले के बारे में

- बनारस तबला घराने का विकास 200 साल पहले सुविख्यात पंडित राम सहाय ने किया था।
- बनारस घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत में छह प्रमुख तबला घरानों में से एक है।
- प्रसिद्ध तबला वादक पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे।